



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 ज्येष्ठ, 1938 (श०)

संख्या 488 राँची, शुक्रवार,

17 जून, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

31 मई, 2016

विषय :- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के प्रमुख मानकों तथा अन्य समावेशन मानकों के अनुरूप लाभुकों के चयन के संबंध में।

संख्या-2/न०वि०/SJSRY(NULM) -02/2012-2934--विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3995, दिनांक 30 सितम्बर, 2013 के द्वारा राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में BPL परिवारों के लिए, "कट ऑफ" अंक 70.01 से 100.00 तक औसत भारित अंक निर्धारित किया गया था एवं इसी के अनुरूप दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अंतर्गत विभिन्न घटकों में देय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु BPL के मापदंडों के आधार पर लाभुकों का चयन वर्तमान में किया जाता रहा है।

उल्लेखनीय है कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) संबंधी आंकड़े जारी नहीं होने की स्थिति में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) की मार्गदर्शिका के अनुरूप लाभार्थियों के चयन का आधार के रूप में तात्कालिक व्यवस्था अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को शामिल किये जाने की व्यवस्था प्रभावी है।

1. यद्यपि झारखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लिए SECC का आंकड़ा/प्रतिवेदन जारी किया जा चुका है, परंतु शहरी क्षेत्रों के लिए समावेशन एवं अपवर्जन मानक संबंधी आंकड़े लंबित हैं। ऐसे में SECC अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लिए सर्वेक्षण हेतु शामिल किये गए सामान्य मानक एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शामिल किये गए समावेशन मानकों को सम्यक् विचारोपरांत शहरी क्षेत्रों के लिए भी समावेशन मानक के रूप में लागू किया जायेगा। योजना एवं विकास विभाग द्वारा संचालित लक्ष्मी लाडली योजना के समरूप अधिकतम 72,000/- वार्षिक आय वाले परिवारों को भी लाभुक परिवार माना जायेगा।

1.1 उपरोक्त के अनुरूप निम्नलिखित में से किसी भी तीन मापदंडों को पूरा करने वाले शहरी परिवार को दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) का लाभार्थी माना जायेगा।

1.1.1 कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरे में रहने वाला परिवार।

1.1.2 परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।

1.1.3 महिला मुखिया वाले परिवार, जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है।

1.1.4 निशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार।

1.1.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले परिवार।

1.1.6 ऐसे परिवार, जहाँ 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क साक्षर नहीं है।

1.1.7 भूमिहीन परिवार, जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करता है।

1.2 वैसे परिवार, जो निम्नलिखित श्रेणी में आते हों या परिवार के आय का मुख्य श्रोत निम्नलिखित से संबंधित हो एवं लक्ष्मी लाडली योजना के अंतर्गत निर्धारित

अधिकतम वार्षिक आय रूपये बहतर हजार (72,000/-) से ज्यादा न हो, को भी लाभार्थी माना जायेगा:-

- 1.2.1 कूड़ा-कचड़ा (अपशिष्ट) उठाने वाला परिवार (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत भिक्षाटन, कचड़ा चुनने-बिनने/ संग्रहण/ निस्तारण से हो)।
- 1.2.2 घरेलु कामकाजी वाला परिवार (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत घर की साफ-सफाई, जूठन बर्तन धोने, खाना पकाने, बच्चों की देखभाल/ आया आदि से हो)।
- 1.2.3 सड़क पर दुकान लगाने वाले विक्रेता/मोची/फेरी वाला/ सड़क पर काम करने वाले अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराने वाला परिवार (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/ आय का मुख्य श्रोत फेरी के दुकान से/ मोची के काम से/ फुटपाथ के दुकान से/सड़क पर काम एवं अन्य संबंधित सेवाओं से हो) ।
- 1.2.4 निर्माण मजदूर/प्लंबर/राजमिस्त्री मजदूर/सफेदी करने वाला/वैल्डर/सुरक्षा गार्ड/ कुली एवं अन्य सर पर बोझा ढोने वाले कामगार (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत निर्माण मजदूरी/प्लंबर सेवा/ राजमिस्त्री मजदूरी/सफेदी का कार्य/वेल्डिंग/सुरक्षा गार्ड का कार्य/कुली एवं सर पर बोझा ढोने वाले काम से हो)।
- 1.2.5 साफ-सफाई कर्मचारी/माली (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत साफ-सफाई के कार्य से/माली के काम से हो)।
- 1.2.6 गृह-उद्योग/कारीगर/ हस्तशिल्प मजदूर/दर्जी (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/ आय का मुख्य श्रोत गृह-उद्योग/कारीगर/हस्तशिल्प मजदूरी/ दर्जी से हो) ।
- 1.2.7 वाहन मजदूर/ गाड़ी खीचने वाले मोटिया मजदूर/ड्राईवर/कंडक्टर/ड्राईवर एवं कंडक्टर के सहायक/गाड़ी खीचने वाले/रिक्शा खीचने वाले (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत वाहन मजदूर/ड्राईवर/कंडक्टर/ ड्राईवर कंडक्टर के सहायक/ गाड़ी खीचने वाले/रिक्शा खीचने से संबंधित हो) ।

- 1.2.8 दुकान पर काम करने वाले सहायक/ छोटी जगह पर चपरासी /सहायक/ डिलीवरी सहायक/ परिचर/ अनुसेवक/ वेंटर (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत दुकान पर काम करने वाले सहायक/छोटी जगह पर चपरासी/सहायक/डिलीवरी सहायक/परिचर/अनुसेवक/वेंटर के कार्य से संबंधित हो) ।
- 1.2.9 इलेक्ट्रीशियन /मैकेनिक/रिपेयर करने वाले/कलपुर्जे जोड़ने वाला मजदूर (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत इलेक्ट्रीशियन /मैकेनिक/ रिपेयर करने वाले/ कलपुर्जे जोड़ने वाले कार्यों से संबंधित हो)।
- 1.2.10 धोबी/चैकीदार (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत कपड़े धोने-रंगने एवं चैकीदारी से हो) ।
- 1.2.11 गैर कामकाजी (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत पेंशन /किराया/ऋण/ब्याज इत्यादि से हो) ।
- 1.2.12 आश्रयविहीन/गृहविहीन व्यक्ति/परिवार जिसका कहीं से कोई आय नहीं है (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का कोई श्रोत न हो एवं परिवार आश्रयविहीन/गृहविहीन हो) ।
- 1.3 वैसे परिवार जिनके घर की निर्माण सामग्री निम्नलिखित के अनुरूप हो, को भी लाभार्थी माना जायेगा-
- 1.3.1 घास/फूस/बांस/लकड़ी/मिट्टी इत्यादि।
- 1.3.2 प्लास्टिक/पोलीथीन या फिर खपरैल छत।
- 1.3.3 पक्की ईट या फिर पत्थर की दिवारें लेकिन जी०आई०-धातु/एसबेस्टर्स की चादरों का छत।
- 1.4 वैसे परिवार जिसके निवास स्थल/घर में बिजली, पेय जल, टॉयलेट, जल निकासी, रसोई आदि से संबंधित सुविधायें निम्नानुसार हो उन्हें भी लाभार्थी माना जायेगा:-
- 1.4.1 पेय जल की सुविधा परिसर में न हो एवं पेय जल संग्रहण हेतु घर से बाहर जाना पड़ता हो।
- 1.4.2 प्रकाश व्यवस्था हेतु घर में बिजली व्यवस्था उपलब्ध न हो एवं परिवार, कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्भर हो।

- 1.4.3 परिवार का अपना व्यक्तिगत टॉयलेट न हो, टॉयलेट सुविधा के लिए, परिसर से बाहर जाना पड़ता हो।
- 1.4.4 घर में प्रयोग के बाद गंदे पानी को निकालने के लिए कोई भी समुचित व्यवस्था न हो।
- 1.4.5 घर में खाना बनाने के लिए, अलग से कोई रसोई घर न हो।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत निम्नलिखित समावेशन मानक को भी आधार माना जायेगा :-
- 2.1 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हो।
- 2.2 सभी विधवा एवं परित्यक्ता जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हो।
- 2.3 वैसे सभी निःशक्त व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हो।
- 2.4 सभी आदिम जनजाति के सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका /न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हो।
- 2.5 कैंसर,एड्स, कुष्ठ एवं अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् /उद्यम/प्रक्रम/ उपक्रम/अन्य निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/ नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हो।

3. सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों तथा खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत शामिल एवं अन्य वैसे परिवार, जिनकी वार्षिक आय 72 हजार रुपये तक हो, को दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) का लाभार्थी माना जाएगा।
4. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के प्रमुख मानकों तथा अन्य समावेशन मानकों के अनुरूप लाभुकों के चयन हेतु प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 25 मई, 2016 के मद संख्या-10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
5. यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा तथा इस संकल्प का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।
